

सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीया मंत्री, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-
17.09.2026 (बुधवार) को अपराह्न 12:00 बजे विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री दीपक आनन्द, सचिव, खेल विभाग।
2. श्री विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक, खेल विभाग।
3. श्री अनिल कुमार, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।
4. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
5. श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।
6. श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना।
7. श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, परियोजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।
8. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक, युवा, खेल निदेशालय।
9. श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक, युवा, खेल निदेशालय।
10. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, क्रीड़ा, खेल निदेशालय।
11. परामर्शी, सी0पी0 एण्ड डी0एस0 एसोसिएट्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

कार्यवाही

सर्वप्रथम माननीया मंत्री, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त एजेंडा से संबंधित बैठक की एजेंडा पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

1. वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, ओढ़नी डैम, बाँका निर्माण से संबंधित प्रस्तुतीकरण

परामर्शी, सी0पी0 एण्ड डी0एस0 एसोसिएट्स के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, ओढ़नी डैम, बाँका का पी0पी0टी0 प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इस प्रजेंटेशन में परामर्शी द्वारा कयाकिंग और कैनोइंग खेल विधा के निर्माण से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

फील्ड ऑफ प्ले - परामर्शी के द्वारा बताया गया कि कुल 9 लेन (9 मीटर का एक लेन) कयाकिंग और कैनोइंग के लिए बनाये जाएंगे। इनकी दूरी स्टार्टिंग प्वाइंट से इन्ड प्वाइंट 1.35 कि0मी0 की रहेगी। इस बिन्दु पर माननीया मंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि इस दूरी को 2 कि0मी0 तक विस्तारित किया जाय। जिससे भविष्य में बड़ी प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा सके। परामर्शी के द्वारा यह भी बताया गया कि फील्ड ऑफ प्ले पूरब-पश्चिम दिशा में बनाये जाएंगे।

ओढ़नी डैम, बाँका में वाटर स्पोर्ट्स निर्माण के संबंध में परामर्शी के द्वारा खेल मैदान, आवासीय व्यवस्था हेतु हॉस्टल का निर्माण, ओलम्पिक खेल में उस खेल विधा से संबंधित मेडल टैली, कयाकिंग एवं कैनोइंग खेल विधा में आंशिक अंतर, खेल उपकरण की विशेषता लेन के अंदर प्रतिद्वंद्विता इत्यादि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया।

बोट स्टेकिंग (इण्डोर/आउटडोर) - उनके द्वारा बोट स्टेकिंग के निर्माण के संबंध में बताया गया कि 6 मीटर की ऊँचाई के अधीन 80 बोट रखने की क्षमता के बारे में स्पष्ट किया गया।

माननीया मंत्री द्वारा समीक्षा के क्रम में यह पृच्छा की गयी कि इस प्रस्तुतीकरण में वर्णित निर्माण से संबंधित प्रस्ताव का आधार क्या है? इस पर परामर्शी के द्वारा अवगत कराया कि उन्होंने भोपाल (मध्यप्रदेश) एवं एलेप्पी (केरल) में स्थित एकसीलेंस सेंटर का भ्रमण करने के पश्चात् वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का आकलन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से प्राप्त निदेश तथा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अन्य विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के उपरान्त ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रशासनिक भवन का निर्माण – माननीया मंत्री महोदया के द्वारा परामर्शी को निदेश दिया गया कि प्रशासनिक भवन को सिटिंग गैलरी के पीछे के क्षेत्र में निर्माण किये जाने की संभावना तलाश की जाय क्योंकि ऐसा किये जाने से सिटिंग गैलरी का समुचित उपयोग होगा एवं प्रस्तावित 14 कि०मी० की सड़क का निर्माण करने पर होने वाले व्यय की बचत होगी।

छात्रावास – माननीया मंत्री के द्वारा परामर्शी को यह सुझाव दिया गया कि दोनों प्रस्तावित छात्रावास निर्माण के साथ ही मल्टी स्पोर्ट्स टर्फ के जॉइंटिंग ट्रैक का निर्माण कराया जाय, जिससे प्रशिक्षु अपनी आवश्यकतानुसार शारीरिक वर्क आउट कर सकेंगे। इसको शामिल करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे।

रोइंग खेल विधा को शामिल करना – प्रस्तुतीकरण के क्रम में माननीया मंत्री के द्वारा यह पृच्छा की गयी कि वाटर स्पोर्ट्स के अधीन रोइंग खेल विधा को भी इसमें शामिल किया गया है अथवा नहीं। जिस पर परामर्शी के द्वारा यह बताया गया कि इस अवसंरचना में आदेशानुसार रोइंग खेल विधा को भी शामिल किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल – माननीया मंत्री महोदया के द्वारा यह पृच्छा की गयी कि परियोजना में कुल कितनी भूमि (क्षेत्रफल) की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी, कितनी भूमि में आवासीय परिसर है एवं कितने पेड़ हैं तथा कौन सी जमीन किस विभाग की है इत्यादि से संबंधित स्पष्ट प्रातिवेदन उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को निदेशित किया गया। प्रातिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त भूमि हस्तांतरण के संबंध में संबंधित विभाग से यथासमय पत्राचार/अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

(खेल विभाग/महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड)

2. धोबघट, जमुई शूटिंग रेंज

धोबघट, जमुई शूटिंग रेंज डी०पी०आर० बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से यथाशीघ्र प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(खेल विभाग)

3. श्रीकृष्ण स्टेडियम, जमुई

श्रीकृष्ण स्टेडियम, जमुई के निर्माण हेतु योजना विकास विभाग द्वारा दिनांक— 16.07.2026 को ₹ 14,99,00,000/- (चौदह करोड़ निन्यान्वे लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गयी है। उक्त स्टेडियम की यथाशीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निदेश दिया गया।

(खेल विभाग)

4. राज्य खेल अकादमी-सह-अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर

राज्य खेल अकादमी-सह-अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के क्रिकेट स्टेडियम एमओयू हेतु छत्तीसगढ़ क्रिकेट स्टेडियम के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने का निदेश प्राप्त है। उसके पूर्व बी०सी०सी०आई० से बिहार में कार्यरत क्रिकेट संघ का पूरा ब्यौरा माँगने के बाद ही अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।


23/09/26

5. खेल निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में।

खेल निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारियों के लंबित कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में माननीया मंत्री द्वारा खेल विभाग को निदेश दिया गया कि लगभग 20 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् भी विभागीय खेल पदाधिकारियों (खेल निदेशालय में पदस्थापित) की कालावधि प्रोन्नति नहीं दी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग के कालावधि आधार पर प्रोन्नति दिये जाने के नियम के आलोक में इन पदाधिकारियों के लंबित प्रोन्नति पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

सधन्यवाद, बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


23/09/26
(दीपक आनन्द)
सचिव, खेल विभाग।

ज्ञापांक—.....3597..... पटना, दिनांक—24/9/2026
प्रतिलिपि:— मंत्री के आप्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/निदेशक के आप्त सचिव/उपनिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/सहायक निदेशक, युवा/सहायक निदेशक, क्रीड़ा/आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।